प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

यह प्रतिवेदन "छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन" पर वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि को सम्मिलित करते हुए किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए किए गए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो गत वर्षों में संज्ञान में आए थे, परंतु पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। आवश्यकतानुसार, वर्ष 2023-24 के पश्चात की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।